Eradication of blindness

102. SHRI SHAMIM HASHMI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state

(a) whether Government are aware of the continued inadequacy of steps to prevent blindness in the country as reported in the Daily Excelsior (Jammu) of the 8th August, 1991; and

(b) whether Government would work out a time bound plan to eradicate blindness in the country as was earlier done for small pox?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI M. L. FOTEDAR): (a) Yes, Sir.

(b) Blindness unlike small pox can never be completely eradicated but only substantially controlled; and therefore the main effort has to be directed towards its prevention and cure. Government launched a National Programme for control of blindness in 1976 with the objective of reducing prevalence of blindness from 1.4 per cent to 0.3 per cent by 2000 A.D.

Recognising the inadequacy of the efforts at the existing level, an ambitious and comprehensive programme for the control of Blindness is being formulated for World Bank assistance. The World Bank has agreed in principle to consider such a proposal.

पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी भोपाल संभाग की सिंचाई परियोजनाएं

*103. **श्री राघव जी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1991 को उनके [illegible] पें "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" हेतु लम्बित पड़ी मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग की सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्रदान किए गए थे और वर्ष 1989 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के दौरान जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था ;

(ग) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) 30 जून, 1991 को प्रत्येक परियोजना की स्थिति क्या थी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कमलनाथ) : (क) यद्यपि मध्य प्रदेश के भोपाल संभाग की कोई सिंचाई परियोजना 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित नहीं है, फिर भी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी है ।

(ख) से (घ) 1989 से 30 जून, 1991 तक भोपाल संभाग की जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी दी गई है, उनकी सूची तथा वानिकी मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी परियोजनाओं पर हो रही कार्रवाई की स्थिति से संबंधित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी भोपाल संभाग की सिंचाई परियोजनाएं

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	कार्रवाई की स्थिति	वर्तमान स्थिति
क. पर्यावरणीय मंजूरी		**30 जून, 1991**	
	पर्यावरणीय मंजूरी केवल बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए लेनी होती है । भोपाल संभाग से अभी तक कोई बड़ी सिंचाई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है ।		
ख. वानिकी मंजूरी			
	1989 से 30 जून, 1991 तक मंजूर परियोजनाएं		
1.	माझी सिंचाई परियोजना	मई, 1989 में मंजूर की गई ।	
2.	रामपुर खुर्द सिंचाई परियोजना	अगस्त, 1990 में मंजूर की गई ।	
3.	मोगा सिंचाई परियोजना	जून, 1990 में मंजूर की गई ।	
	30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार वानिकी मंजूरी के लिए लंबित परियोजनाएं		
1.	जोझांपुर टैंक	अप्रैल, 1991 में मांगे गए ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।	प्रस्ताव का मूल्यांकन पूरा हो गया है ।
2.	नन्दखो टैंक	मार्च, 1991 में मांगे गए ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।	प्रस्ताव का मूल्यांकन पूरा हो गया है ।
3.	भीमबाटिका टैंक	मांगे गए ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।	राज्य के नॉडल अधिकारी से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है ।
4.	कंसाबेल दिक्परिवर्तन स्कीम	स्थल निरीक्षण किया जाना है ।	स्थल का निरीक्षण पूरा हो गया है लेकिन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
5.	मेहो टैंक	ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।	सूचना न भेजे जाने के कारण प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है ।
6.	नागरी टैंक	ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।	सूचना न भेजे जाने के कारण प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया है ।